भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1229

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की समीक्षा**

1229**. डा. विकास महात्मे :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान प्रक्रिया की तत्काल समीक्षा के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ख) :** भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय ‘कालेजियम प्रणाली’ में सुधार के लिए रिट याचिका (सिविल) संख्‍या 2015 का 13 में दिए गए तारीख 16.12.2015 के आदेश द्वारा, सरकार को कारकों जैसे कि पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय की स्‍थापना और शिकायतों से व्‍यवहार करने के लिए यंत्रक्रिया को हिसाब में लेते हुए उच्‍चतम न्‍यायालय कालेजियम के साथ परामर्श करके विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अनुपूरक करके अंतिम रुप देने का निदेश दिया था । भारत सरकार ने सम्‍यक विचार विमर्श के पश्‍चात् विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन में परिवर्तन प्रस्‍तावित किए थे और प्रारुप प्रक्रिया ज्ञापन, तारीख 22 मार्च, 2016 के पत्र द्वारा भारत के माननीय मुख्‍य न्‍यायमूर्ति को भेजा गया था । उस पर, भारत के माननीय मुख्‍य न्‍यायमूर्ति का उत्‍तर तारीख 25.05.2016 और 01 जुलाई, 2016 को प्राप्‍त हुआ था । सरकार का दृष्‍टिकोण तारीख 03.08.2016 को भारत के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति को सूचित कर दिया गया था । उच्‍चतम न्‍यायालय के कालेजियम के प्रक्रिया ज्ञापन पर इनपुट तारीख 13.03.2017 के पत्र द्वारा भारत के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति से प्राप्‍त हुए थे ।

उच्‍चतम न्‍यायालय के एक अन्‍य निर्णय तारीख 04.07.2017 में कलकत्ता उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश के विरुद्ध ‘स्‍वप्रेरणा से’ अवमानना कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक न्‍यायालयों में न्‍यायाधीशों के चयन और नियुक्‍ति की प्रक्रिया को पुन: देखने की आवश्‍यकता को रेखांकित किया है । भारत सरकार ने तारीख 11.07.2017 के पत्र द्वारा उच्‍चतम न्‍यायालय के महासचिव को प्रारुप प्रक्रिया ज्ञापन में सुधार करने की आवश्‍यकता सूचित की है ।

चूंकि विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) की अनुपूरकता को अंतिम रुप दिए जाने में समय लगने की संभावना थी, सरकार की पहल पर, नियुक्‍ति प्रक्रिया को जारी रखने का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय के समक्ष उठाया गया था और यह उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में न्‍यायाधीशों की रिक्‍तियों को भरने के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसरण में जारी है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*